Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 147: Deemed Export

The Government may, on the recommendations of the Council, notify certain supplies of goods as deemed exports, where goods supplied do not leave India, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in convertible foreign exchange, if such goods are manufactured in India.

धारा 147 : निर्यात समझा जाना

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत से बाहर नहीं जाता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय, भारतीय रूपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया गया है, यह अधिसूचित कर सकेगी कि ऐसे कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाएगा।

www.cggst.com